न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव
(आर.ए.एस.)

न.मु.– 27/25

दिनांकः– 27/3/2025

नोरंग लाल बनाम राजस्थान सरकार आदि

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ति

– : निर्णय :–

दिनांकः– 27/3/2025

प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10/03/2025 को प्रार्थी नोरंग लाल पुत्र रामेशवर लाल आयु 32 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज. ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा न. 604/36 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खेत खसरा न. 607/38 तादादी 13.771 हैक्टेयर कुल दो खसरे तादादी 16.8070 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बैरासर में मेरा नाम नोरंगराम पुत्र रामेश्वर दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम **नोरंग लाल पुत्र रामेशवर लाल** है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया, प्रतिवादीगण जगदीश, तोलाराम, मुन्नीराम, मनोज, शिवकरण पुत्रगण रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज. उपस्थित हुए जिनके इइकबाल जबाब प्रस्तुत कर निवदेन किया कि हमारे भाई का वास्तविक नाम **नोरंग लाल पुत्र रामेशवर लाल** है। अतः नोरंगराम पुत्र रामेश्वर की जगह **नोरंग लाल पुत्र रामेशवर लाल** अंकित किया जावे।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया कि प्रार्थी अपना नाम नोरंगराम पुत्र रामेश्वर की जगह **नोरंग लाल पुत्र रामेशवर लाल** शुद्ध करके करवाये तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्यालय तहसीलदार जारी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की अंकतालिका आदि की सत्यापित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में नोरंगराम पुत्र रामेश्वर की जगह **नोरंग लाल पुत्र रामेशवर लाल** अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खेत खसरा न. 604/36 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खेत खसरा न. 607/38 तादादी 13.771 हैक्टेयर कुल दो खसरे तादादी 16. 8070 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बैरासर में नोरंगराम पुत्र रामेश्वर की जगह **नोरंग लाल पुत्र रामेशवर लाल** के आदेश दिये जाते है, तहसील बीदासर को प्रतिलिपि पालानार्थ भेजी जावे। यह निर्णय आज दिनांक ... 27/3/25 ...को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर